

पत्र संख्या-एसीस-03/नि0-02/2016-
निदेशालय चिकित्सा सेवार्ये
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार
श्रम संसाधन विभाग।

प्रेषक,

डा0 (श्रीमती) तृप्ति चौधरी,
उपनिदेशक, चिकित्सा सेवार्ये।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक/राज्य चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
पंचदीप भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
पटना।

पटना, दिनांक-

विषय- बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के अतिविशिष्ट चिकित्सा पर हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित विपत्रों का प्रेषण।

प्रसंग- सचिव, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.16 को कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 117, दिनांक- 15.02.16.

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक कहना है, कि दिनांक 11.02.16 को सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों से संबद्ध बीमित व्यक्तियों के अतिविशिष्ट चिकित्सा पर हुए व्यय से संबंधित विपत्रों का भुगतान आपके स्तर से ही किया जाना है। अतः निम्नांकित विपत्रों को नियमानुसार पूर्णरूपेण जाँच करने हेतु प्रेषित की जाती है। जाँच करने के पश्चात् ही भुगतान करने की कारवाई की जाय।

क्र0 सं0	बीमित व्यक्ति का नाम (श्री/श्रीमती)	बीमा संख्या	चिकित्सालय का नाम	चिकित्सालय के पत्रांक/दिनांक से प्रेषित	बीमारी का नाम	औषधि प्रतिपूर्ति देयक की राशि
1	संजय कुमार	4201434642	जमालरोड	488/19.11.18	CAD	15965.00
Total						15965.00
रुपये (पंद्रह हजार नौ सौ पैंसठ) मात्र						

उक्त क्रमांक-01 में अंकित बीमित व्यक्ति के दावे का निष्पादन कृपया अपने स्तर से नियमानुसार एवं पूर्णरूपेण जाँच कर भुगतान करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाय, ताकि संबद्ध चिकित्सालयों को भुगतान की सूचना संप्रेषित की जा सके।

अनु0 - उक्त अभिश्रव मूल
अभिलेख के साथ।

विश्वासभाजन,
ह0/-

(डा0 तृप्ति चौधरी)
उपनिदेशक, चिकित्सा सेवार्ये

ज्ञाप संख्या-एसीस-03/नि0-02/2016- 922

पटना, दिनांक- 22.12.2018

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

(Signature)
22.11.18
उपनिदेशक, चिकित्सा सेवार्ये